| | |
|---|---|
| ५/१२/२४ | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप०। वादी ने एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी क्रम 1 की आराजी वादग्रस्त है और प्रतिवादी क्रम 1 के नाम दर्ज है जिसमें पैतृक होने के कारण वादीगण का हक व हिस्सा निहित है तथा स्वयं को वादग्रस्त आराजी के 2/9 - 2/9 हिस्से तक का खातेदार |
| | (अर्चना सहरावत)<br>उपखण्ड अधिकारी अन्ता<br>जिला बारां (राज0) |

| तारीख व हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| | घोषित किए जाने की प्रार्थना की है। आधि० प्रतिवादी ने वादपत्र आरोपों वादिगण के अलावा अन्य हकदार, ईशब खान की पुत्रियां होने के कारण तथा प्रतिवादी क्र० 1 द्वारा अन्य वाद 183 RT act में लंबित होने के कारण वाद खारिज करने का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC में प्रस्तुत किया है जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी वादी ने जवाब पेश किया, दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। CPC के अनुसार आदेश 7 नियम 11 (डी) CPC के अनुसार यदि कोई वाद विधि द्वारा वर्जित है तो उसे किसी भी स्तर पर खारिज किया जा सकता है। प्रस्तुत वाद में पक्षकार मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार "एक मुस्लिम काश्तकार के जीवनकाल में कोई भी व्यक्ति उसके होने वाले उत्तराधिकारी के रूप में दावा नहीं ला सकता।" अतः उक्त वादपत्र मुस्लिम स्वीय विधि द्वारा बाधित है। |

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज०)

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिबल्स जज | जो इस हुक्म तामील में जा |
|---|---|
| हस्तगत वाद मुस्लिम स्वीय विधि से बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है तथा इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है। पत्रावली/वाद प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (D) CPC के प्रावधानों के तहत विधि विरुद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।<br><br>निर्णय खुले इजलास पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>(अंजना सहरावत)<br>उपखण्ड अधिकारी अन्ता<br>जिला बारां (राज0) | |